

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक/289/2019/26-2

भोपाल दिनांक 2/03/2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
3. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मध्यप्रदेश

विषय :- पेंशन के संबंध में जनपद पंचायत स्तर पर सम्मेलन सह प्रशिक्षण आयोजित करने बावत।

उपरोक्त विषयांतर्गत जैसा की आपको विदित है कि शासन द्वारा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित समस्त पेंशन योजनाओं की राशि माह मार्च पेड अप्रैल 2019 से बढ़ाकर राशि रुपये 600/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह की गई है। अभी भी कई पेंशन हितग्राहियों को पात्रतानुसार योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है राज्य में लगभग 14 लाख से अधिक हितग्राही समग्र पोर्टल पर प्रथमदृष्ट्या पात्र परिलक्षित हो रहे तथा कई हितग्राहियों के भुगतान असफल हो रहे हैं।

राज्य के समस्त हितग्राहियों को शासन द्वारा उनकी पेंशन राशि में की गई वृद्धि की जानकारी पेंशन वृद्धि के आदेश की प्रति वितरित किये जाने तथा पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया में शामिल समस्त ग्राम पंचायत सचिवों, सरपंचों तथा अन्य अधिकारियों/पदाधिकारियों को पेंशन से संबंधित नियमों/प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण हेतु दिनांक 6.8.2019 से 8.8.2019 तक जिलों के प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर पर पेंशन हितग्राहियों तथा संबंधित अधिकारियों/पदाधिकारियों का सम्मेलन सह प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है ताकि समस्त हितग्राहियों को नवीन बढी हुई पेंशन के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके तथा संबंधित

अधिकारियों/पदाधिकारियों को भी पेंशन स्वीकृति के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे समस्त पात्र हितग्राहियों को पेंशन प्राप्त हो सके एवं कोई भी भुगतान असफल न हो।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि दिनांक 6.3.2019 से दिनांक 8.3.2019 तक आप अपने जिले की प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर पर एक सम्मेलन सह प्रशिक्षण आयोजित कर हितग्राहियों को नवीन बढी हुई पेंशन की जानकारी देने, पेंशन वृद्धि के आदेश की प्रति वितरित करने तथा पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया में सम्मिलित पंचायत के अधिकारियों/पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने का कष्ट करें ताकि समस्त हितग्राहियों को उनकी पात्रतानुसार पेंशन प्राप्त हो सके।

उपरोक्त सम्मेलन सह प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु आपके जिले को प्रति जनपद पंचायत के मान से राशि रुपये 25 हजार का आबंटन पृथक से उपलब्ध कराया जा रहा है।



(अलका श्रीवास्तव)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन

भोपाल दिनांक 2/03/2019

पृ. क्रमांक/2019-290/2019/26-2
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण।
3. समस्त आयुक्त नगर निगम, मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद/ नगर पंचायत मध्यप्रदेश



सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन

कल्याण विभाग